

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक .- ई-18/एम/1413-यू/2019/ दिनांक .

विभागीय जांच का प्रमाण पत्र

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/लूज/2007/1796 दिनांक 02.09.2007 के द्वारा श्री भंवरलाल नागरवाल, वरिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.01.2001 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे।

निदेशालय के आदेश क्रमांक: सीबी/एमएस/एफ-31/2019/576 दिनांक 27.03.2019 के द्वारा स्व0 श्री भंवरलाल नागरवाल, वरिष्ठ सहायक (से नि), के विरुद्ध लम्बित कार्यवाही को समाप्त किया जा चुका है। अतः प्रमाणित किया जाता है कि

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक .- ई-18/एम/1413-यू/2019/829

दिनांक . 27/03/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फलौदी, जोधपुर।
4. प्रशासनिक अधिकारी, गोपनिय (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
- 5 श्रीमति केसर देवी पत्नि स्व0 श्री भंवरलाल नागरवाल, वरिष्ठ सहायक (से नि) को सूचनार्थ।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर